



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222183
CG-DL-E-01102020-222183

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3035]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942

No. 3035]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

का.आ. 3405(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मिजोरम राज्य के सैतुअल जिले में NH-6 (NH-53) के कि.मी. 14 से कि.मी. 15 (ऑफिस ऑफ़ दी डिप्टी कमिश्नर सैतुअल, पी डब्ल्यू डी वेंग, सैतुअल) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 28 अगस्त, 2020 और 29 अगस्त, 2020 को “द आइजवल पोस्ट” और “सैतुअल पोस्ट” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मिजोरम राज्य के सैतुअल जिले में NH-6 (NH-53) के कि.मी. 14 से कि.मी.15 (ऑफिस ऑफ़ थे डिप्टी कमिश्नर सैतुअल, पी डब्ल्यू डी वेंग, सैतुअल) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मिजोरम		जिले का नाम: सैतुअल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: फूलन				
	गांव का नाम: केइफांग				
1	DC Pass 182 of 1964	निजी	ड्राइ	0.9178346	क. थङ्गजुयाला ()
2	GLSC 44 of 1999	निजी	ड्राइ	0.0639232	क. ललचमरैया ()
3	GLSC W-19 of 1987	निजी	ड्राइ	0.1490686	केसी वानललदिकी ()
4	PP No. 54 of 1984	निजी	ड्राइ	0.2411368	जचना ()
5	SAITUAL FOREST RANGE PLANTATION	सरकारी	ड्राइ	0.5947775	सैतुअल फॉरेस्ट रेंज प्लांटेशन ()
6	VC Pass no. nil Dated 07-01-2011	निजी	ड्राइ	0.0305577	ललरिंगलियाना खियाङ्गते ()
7	VC Pass P-112 of 2015	निजी	ड्राइ	0.0260085	ललथरजेला ()
8	VC Pass P-115 of 2015	निजी	ड्राइ	0.537357	लालेङ्गमवीय ()
			कुल	2.560669	

[फा. सं. NHIDCL/BO-Aizawl/2019-20/NH-6/Seling-Dulte/Pkg-1/01/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2020

S.O. 3405(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-6 (NH-53) on the stretch of land from Km. 14 to Km. 15 (Office of the Deputy Commissioner Saitual, P W D Veng, Saitual) in the district of Saitual in the State of MIZORAM;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Aizawl Post” and “Saitual Post” dated 28th August 2020 & 29th August 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-6 (NH-53) in the stretch of land from Km. 14 to Km. 15 (Office of the Deputy Commissioner Saitual, P W D Veng, Saitual) in the district of Saitual in the state of MIZORAM

State: MIZORAM		District: Saitual			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Phullen				
	Village: Keifang				
1	DC Pass 182 of 1964	Private	Dry	0.9178346	K.Thangzuala
2	GLSC 44 of 1999	Private	Dry	0.0639232	K.Lalchamreia
3	GLSC W-19 of 1987	Private	Dry	0.1490686	KC Vanlaldiki
4	PP No. 54 of 1984	Private	Dry	0.2411368	Zachana
5	SAITUAL FOREST RANGE PLANTATION	Government	Dry	0.5947775	SAITUAL FOREST RANGE PLANTATION

6	VC Pass no. nil Dated 07-01-2011	Private	Dry	0.0305577	Lalringliana Khiangte
7	VC Pass P-112 of 2015	Private	Dry	0.0260085	Laltharzela
8	VC Pass P-115 of 2015	Private	Dry	0.537357	Lalengmawia
			TOTAL	2.5606639	

[F. No. NHIDCL/BO-Aizawl/2019-20/NH-6/Seling-Dulte/Pkg-1/01/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.